दिनांक 15.09.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 478/2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 15.09.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ इकाई** द्वारा शिकायतकर्ता से फ्लैट की रजिस्ट्री/पजेशन से सम्बन्धित पत्रावली आगे बढ़वाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री योगेन्द्र कुमार के नेतृत्व में कार्यालय आवास विकास परिसर शास्त्रीनगर जनपद मेरठ से **आउट सोर्सिंग अनस्किल्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभिनव शर्मा (आवास विकास कार्यालय जनपद मेरठ)** पुत्र कुलदीप शर्मा निवासी साउथ एम्स कॉलोनी निकट-सोमदत्त सिटी थाना मेडिकल जनपद मेरठ को **06 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 15.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 479/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 15.09.2026 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिसावदा से बिलोचपुरा नहर पटरी पर रजवाहे के किनारे बने ट्यूबवेल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजा अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा अली निवासी 25 फुटा रोड मुस्तफाबाद थाना खजूरी जनपद उत्तर–पूर्वी दिल्ली, हालपता हातिम सराय मोहन तालाब के पास थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.09.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धनौती तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिव्यांशु को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद देवरिया के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिव्यांशु निवासी गोबराई खास थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

जनपद हापुड़/थाना गढ़मुक्तेश्वर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 06 कुन्तल विद्युत तार**
- **विद्युत तार चोरी करने के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 आटो लोडर आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2026 की रात्रि थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्याना रोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर 2–दीपक घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–शेरू उर्फ जयदीप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 06 कुन्तल विद्युत तार, विद्युत तार चोरी करने के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 आटो लोडर आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर के विरूद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर, हापुड़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, विद्युत अधिनियम, आबकारी एक्ट आदि के 41 अभियोग, अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद हापुड़ के विभिन्न थानो में विद्युत अधिनियम आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त शेरू उर्फ जयदीप के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में विद्युत अधिनियम, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुरेन्द्र उर्फ सुन्दर निवासी ग्राम नगला आलमपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर।

2–दीपक निवासी ग्राम शाहपुर चौधरी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

3–शेरू उर्फ जयदीप निवासी ग्राम अतलपुर थाना किठौर जनपद मेरठ, वर्तमान पता हर्ष बिहार थाना साहिबाबाद ट्रांस हिण्डन कमिश्रनेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के लगभग 06 कुन्तल विद्युत तार।

2–विद्युत तार चोरी करने के उपकरण।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 आटो लोडर आदि।

<u>जनपद शामली/थाना आदर्श मण्डी</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 15.09.2026 को थाना आदर्श मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुंडेट कलां नहर पुल पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र 2–विक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मेन्द्र निवासी ग्राम तिसंग थाना झिंझाना जनपद शामली।

2–विक्की निवासी ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 218 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2026 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसी तिराहा के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त अहसान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 218 ग्राम अवैध स्मैक आदि हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, शामली व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अहसान निवासी ग्राम नंगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 218 ग्राम अवैध स्मैक आदि।

जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **135 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 14.09.2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दोहना पीतमराय जाने वाले कच्चे रास्ते पर नहर के किनारे से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त ईशू उर्फ सलोचन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 135 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ईशू उर्फ सलोचन निवासी ग्राम कंचनपुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—135 ग्राम अवैध चरस।

- **कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना सोरांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 02 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय प्रयागराज द्वारा थाना सोरांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अतुल को आजीवन कारावास व 01 लाख 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना गिलौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 272 भादवि व 60(2)

आबकारी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ननके को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना मऊआइमा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय प्रयागराज द्वारा थाना मऊआइमा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद कुमार को कठोर आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————